भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1045

जिसका उत्तर सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्टस में प्राइवेट बीमा कंपनियों का प्रतिशत

1045. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्टस (आरईआईटी) में निवेश करने वाली निजी बीमा कंपनियों के महत्व के संबंध में विशेषकर उनके स्थावर संपदा संघटकों के संबंध में जागरुकता बढ़ाने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) वैश्विक औसत की तुलना में देश में आरईआईटी में निजी बीमा फर्मों के निवेश का वर्तमान प्रतिशत क्या है और इन निवेशों में पहचाने गए संबद्ध जोखिम कारकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वहनीय कवरेज के माध्यम से निजी बीमा योजना के लाभों के समान वितरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो पहलों का ब्यौरा क्या है और विशेषकर निम्न आय वर्गों के लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार निजी बीमा फर्मों और आरईआईटी में उनके निवेश से संबंधित दुर्विनियोजन से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए अन्य देशों की तरह किसी नीतिगत परिवर्तन पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के तत्वावधान में रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) संघ ने आरईआईटी की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पहल की हैं:-

i. एनएसई के साथ वर्चुअल निवेशक संपर्क कार्यक्रम
ii. आरईआईटी के संबंध में सीएनबीसी टीवी18 के साथ ज्ञान श्रृंखला
iii. आरईआईटी पर ईटी में साक्षात्कार
iv. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ आरईआईटी जागरूकता कार्यक्रमों में सहभागिता

इसके अतिरिक्त, सेबी म्युनिसिपल बॉन्ड आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित करता है, जिसमें राज्य सरकारों, नगर पालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों को आमंत्रित किया जाता है और आरईआईटी की विशेषताओं पर नवोन्मेषी साधनों में से एक के रूप में प्रकाश डाला जाता है जिसका उपयोग राज्य सरकारों, नगर पालिकाओं और शहरी स्थानीय संस्थाओं के पूर्ण स्वामित्व वाली और राजस्व अर्जित करने वाली आस्तियों से धन-लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

(ख): इरडाई के पास उपलब्ध डाटा के अनुसार, निजी बीमा कंपनियों ने 30 जून, 2024 की स्थिति के अनुसार आरईआईटी में 5,213.33 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के प्रबंधनाधीन आस्तियों का 0.24% है। इन निवेशों से जुड़े जोखिम कारकों में चलनिधि जोखिम, लीवरेज जोखिम, ऋण जोखिम और बाजार

जोखिम शामिल हैं। आरईआईटी में बीमा कंपनियों द्वारा किए गए निवेश के वैश्विक औसत के संबंध में डाटा उपलब्ध नहीं है।

(ग): इरडाई के विनियम अर्थात् इरडाई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर तृतीय पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 ग्रामीण/सामाजिक क्षेत्र में किए जाने वाले कारोबार का प्रतिशत/बीमा किए जाने वाले लोगों की संख्या को निम्नानुसार विनिर्दिष्ट करते हैं:-

ग्रामीण क्षेत्र के प्रति दायित्व:-

क. सभी जीवन बीमाकर्ता सामूहिक रूप से व्यक्तिगत या समूह पॉलिसियों के माध्यम से 25,000 ग्राम पंचायतों में कम से कम 10% लोगों का बीमा करेंगे।

ख. सभी साधारण बीमाकर्ता (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसी) और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) को छोड़कर) उन सभी ग्राम पंचायतों में अग्नि और मोटर बीमा के अंतर्गत 10% आवासों, दुकानों और वाहनों को कवर करेंगे।

ग. स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित स्वास्थ्य बीमाकर्ता स्वास्थ्य और निजी दुर्घटना बीमा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में 10% लोगों का अनिवार्य रूप से बीमा करेंगे।

सामाजिक क्षेत्र के प्रति दायित्व:- सभी बीमाकर्ताओं – जीवन, साधारण और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता (एआईसी और ईसीजीसी को छोड़कर) – द्वारा प्रथम वित्तीय वर्ष में सामाजिक क्षेत्र के कुल 10% लोगों को कवर किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

इस उद्देश्य के लिए ये विनियम सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना को सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों से सम्बद्ध करता है और घोषणा के आधार पर सामाजिक क्षेत्र में व्यक्तियों के व्यवसाय के आधार पर कवरेज की सुविधा प्रदान करता है।

(घ): आरईआईटी में बीमाकर्ताओं के निवेश के संबंध में इरडाई के विनियामकीय उपबंध:-

I. "रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी)" की इकाई में निवेश

- किसी भी समय आरईआईटी/इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की इकाइयों में बीमाकर्ता की कुल निधि के 3% तक निवेश की अनुमति है।
- बीमाकर्ताओं को एकल आरईआईटी/इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (वर्तमान निर्गम सहित) द्वारा जारी इकाइयों का 5% तक निवेश करने की अनुमति है।

II. "रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी)" की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

- किसी भी समय बीमाकर्ताओं को आरईआईटी के ऋण लिखतों में बीमाकर्ता की कुल निधि के 3% तक निवेश करने की अनुमति है।
- बीमाकर्ता एकल आरईआईटी में बकाया ऋण लिखतों (वर्तमान निर्गम सहित) का 20% तक निवेश करेगा।

उक्त उपबंध सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के बीमाकर्ताओं पर लागू हैं।

*****